

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3320/2026

Raees Mohammed Alias Raez Gurjar S/o Ali Hussain @ Babu,
Aged About 30 Years, R/o Fakir And Dhakar Mohalla, Mandita,
P.s. Sangod, District Kota Rural At Present R/o House No. 144,
Sanjay Nagar, Kaithun, P.s. Kaithun, District Kota.
(At Present Confined In Central Jail, Kota).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Rajesh Gadwal, Adv. Mr. Waseem Akram, Adv.
For Respondent(s)	: Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

13/03/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-कैथून, जिला कोटा ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-316/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 307 भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन कुछ समय उपरांत नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया है, अभियुक्त दिनांक 17.10.2025 से अभिरक्षा में है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, अनुसंधान के दौरान कोई पहचान कार्यवाही संपादित नहीं करवाई गई है, अनुसंधान होकर आरोप

पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के साथ मारपीट कर बीस हजार रुपये व मोबाईल लूटने का आरोप है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 17.10.2025 से अभिरक्षा में है, प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब नौ दिन के विलम्ब से है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, शेष विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **रईस मोहम्मद उर्फ रईज गुर्जर पुत्र अली हुसैन उर्फ बाबू** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J